चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग जयपुर

क्रमांक–एफ 21/12/एन.आर.एच.एम/2005/529 दिनांक– 2-5-06

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त नोडल अधिकारी जननी सुरक्षा योजना C/O सी.एम.एच.ओ
समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक C/O आर. सी.एच.ओ

विषयः– जननी सुरक्षा के अन्तर्गत राज्य के उपकेन्द्रों को मान्यता देने हेतु।

राज्य में जननी सुरक्षा योजना का प्रारम्भ बी.पी.एल. परिवारों की महिलाओं में मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कम करने एवं संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने हेतु किया गया है। इस योजना के तहत उपकेन्द्रों में हो रहे प्रसवों को लाभ देने का भी प्रावधान किया गया है। इस हेतु आपके जिले के उपकेन्द्रों को निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर चिन्हित कर उन्हें मान्यता दी जाये।

1 जो सरकारी भवन में चल रहे है ।
2 ए.एन.एम. स्थाई रूप से उपकेन्द्र पर निवास करती है ।
3 आपातकालीन स्थितियों में वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित है तथा सड़क मार्ग से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से जुड़ा है।
4 पानी , बिजली एवं स्वच्छता की पूरी सुविधा उपलब्ध है ।
5 लेबर टेबल/एक्जामिनेशन टेबल , प्रसव के लिए आवश्यक उपकरण/औजार एवं दवाईया उपलब्ध है।

आवश्यकता पडने पर उपकेन्द्र में प्रसव सेवा सुचारू रूप से प्रदान करने के लिए दवाईयँा या उपकरण उपकेन्द्रों को दिये गये अनटाइड फण्ड में से खरीदी जा सकती है।

मान्यता प्राप्त उपकेन्द्र में प्रसव होने पर पात्र प्रसूता और आशा को जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभान्वित किया जाये।

इस सन्दर्भ में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपकेन्द्रों को मान्यता प्रदान कर एक माह के अन्दर मान्यता प्राप्त उपकेन्द्रों की सूची इस कार्यालय में प्रेषित करें।

डॉ.एस.पी.यादव
निदेशक परिवार कल्याण

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1 निजी सचिव–शासन सचिव , (प.क.) एवं निदेशक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
2 समस्त संयुक्त निदेशक ।
3 रक्षित पत्रावली।

डॉ.एस.पी.यादव
निदेशक परिवार कल्याण